30.8.24 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पूर्व के आदेश साक्ष्य की ओर से जवाब सा० को पेश कर दिया गया है, जो शा० पत्र है, जबकि सा० के अभाव में वकील वादी द्वारा वाद निर्णीत किये जाने का निवेदन किया गया।

मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया, पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है, जो स्वीकार किया जाता है। अंतिम रूप से डिक्री किया

–::न्यायालय उप जिला कलेक्टर सांगोद जिला कोटा ::–

बइलास रामावतार मीणा (आर .ए.एस.)

मिसल न0 91/24 तारीख दायरा:– 12.2.24

बउनवान

जुगल प्रसाद चौधरी पुत्र श्री प्रभूलाल उम्र 54 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम नयापुरा तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

–वादी–

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

–प्रतिवादी–

वाद अर्न्तगत धारा 88.89 आर टी एक्ट

बाबत घोषणा व इन्द्राज दुरस्जी

उपस्थितिः–

वादी की ओर से :– श्री किशोरी लाल चौधरी एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से :– पैरोकार सरकार।

–::निर्णय ::–

दिनांक :– 30.8.24

संक्षेप मे प्रकरण मे तथ्य इस प्रकार है, कि वादी के संयुक्त खाते व कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम नयापुरा पटवार हल्का कमोलर तहसील सांगोद जिला कोटा मे खाता सं0 नई 210 के खसरा नं0 105 की 0.20 हेक्टर, खसरा नं0 146 की 0.03 हेक्टर, खसरा नं0 269 की 0.87 हेक्टर , खसरा नं0 439 की 0.82 हेक्टर, खसरा नं0 440 की 0.02 हेक्टर, खसरा नं0 442 की 1.07 हेक्टर, खसरा नं0 608 की 1.17 हेक्टर, खसरा नं0 693 की 1.62 हेक्टर, खसरा नं0 694 की 2.92 हेक्टर कुल 9 किता की कुल 8.70 हेक्टर आराजीयात स्थित है, उक्त आराजीयात वादी के शांती पूर्वक कब्जे काश्त की है, जिसमे वादी का 1/18 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। यहकि वादी द्वारा अपनी आराजी पर कृषि ऋण आदि प्राप्त करने के लिये व नहर मे जमीन जाने पर चैक बचपन के बोलचाल के नाम पर आने से राजस्व रेकार्ड की नकल प्राप्त की, तो वादी की जानकारी मे आया की राजस्व रेकार्ड जमाबंदी मे वादी बचपन का बोलचाल का नाम जुगलकिशोर दर्ज किया हुआ है, जिससे वादी को बैंक द्वारा ऋण आदि देने मे भी असमर्थता जाहिर की साथ ही वादी को अपने हिस्से की आराजी का विकास कार्य करवाने व सरकार से मिलने वाली सहायता/ अनुदान से भी वंचित होना पड

2.....

उप खण्ड अधिकारी
सांगोद (कोटा)

रहा है, जिसके बाद उक्त वादग्रस्त आराजी मे निहित वादी के हिस्से की आराजी को भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अवाप्त कर मुआवजा राशि का चैक जुगलकिशोर के नाम जारी करने व बैंक खाते मे जुगलप्रसाद दर्ज होने से उक्त मुआवजा राशि भी प्राप्त करने मे परेशानी आ रही है, जिससे वादी द्वारा पटवारी हल्का महोदय से वादी के घर के बोलते नाम जुगलकिशोर को दुरस्त कर वर्तमान मे प्रचलित व वास्तविक नाम जुगलप्रसाद दर्ज करने का निवेदन किया, तो पटवारी हल्का महोदय द्वारा न्यायालय से आदेश लाने की कहकर नाम दुरस्त करने से मना कर दिया है, ऐसी स्थिति मे वादी के लिए माननीय न्यायालय मे वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। यहकि वाद कारण आज से करीब 1 माह पूर्व उक्त नाम दुरस्त करने की कहने पर पटवारी हल्का द्वारा न्यायालय से आदेश लाने की कहकर नाम दुरस्त करने से मना कर देने से माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे उत्पन्न हुआ है। यहकि अन्य सहहिस्सेदार के विरूद्ध कोई सहायता नही मांगने व उनका हिस्सा व हित प्रभावित नही होने से उक्त वाद मे पक्षकार नही बनाया गया है। यहकि वादग्रस्त आराजी माल ग्राम नयापुरा तहसील साँगोद मे स्थित होने से माननीय न्यायालय को उक्त वाद का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार दोनो प्राप्त है। यहकि वाद वास्ते घोषणा व इन्द्राज दुरस्ती हेतु वाद का मूल्यांकन 1000 रूपये नियत किया जाकर उक्त वाद अवधि मध्य उचित न्यायशुल्क पर सादर प्रस्तुत है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के हक मे व प्रतिवादी के विरूद्ध निम्न आश्य की डिक्री सादिर पारित फरमायी जावे कि:– 1) यहकि वादी के संयुक्त खाते व कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम नयापुरा पटवार हल्का कमोलर तहसील सांगोद जिला कोटा मे खाता सं0 नई 210 के खसरा नं0 105 की 0.20 हेक्टर, खसरा नं0 146 की 0.03 हेक्टर, खसरा नं0 269 की 0.87 हेक्टर , खसरा नं0 439 की 0.82 हेक्टर, खसरा नं0 440 की 0.02 हेक्टर, खसरा नं0 442 की 1.07 हेक्टर, खसरा नं0 608 की 1.17 हेक्टर, खसरा नं0 693 की 1.62 हेक्टर, खसरा नं0 694 की 2.92 हेक्टर कुल 9 किता की कुल 8.70 हेक्टर आराजीयात मे दर्ज वादी के घर के बोलते नाम जुगलकिशोर के स्थान पर जुगलप्रसाद किये जाने की घोषणा की डिक्री सादिर पारित फरमायी जावे, तथा उक्त घोषणा के अनुक्रम मे इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रेकार्ड मे जुगलकिशोर के स्थान पर जुगलकिशोर पुत्र प्रभूलाल दर्ज किये जाकर इन्द्राज दुरस्त किये जाने के सादिर आदेश पारित फरमावे, इस आशय की घोषणा व इन्द्राज दुरस्ती की डिक्री पारित फरमायी जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत हाने पर वाद को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी की गई, प्रतिवादी द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत कर कोई राजहित प्रभाविज नही होने बाबत अपनी सहमति प्रदान की गई। तदुपरान्त बहस वादी सुनी गई, जिसमे वकील वादी द्वारा वाद के तथ्यों को दौहराया गया और उक्त वाद को डिक्री करने की प्रार्थना की गई । मैने उक्त पत्रावली का गहनता से अवलोकन करने से पाया, कि पत्रावली मे जो दस्तावेज जवाब सरकार प्रतिवादी उपलब्ध है, उपलब्ध दस्तावेजो व

उप खण्ड अधिकारी
सांगोद (कोटा)

साक्ष्य से यह प्रतीत होता है, कि वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है, जो स्वीकार किया जाकर अंतिम रूपसे डिकी किया जाता है।

अतः वादी का वाद स्वीकार कर अंतिम रूपसे डिकी किया जाकर आदेश दिया जाता है, कि माल ग्राम नयापुरा पटवार हल्का कमोलर तहसील सांगोद जिला कोटा मे खाता सं0 नई 210 के खसरा नं0 105 की 0.20 हेक्टर, खसरा नं0 146 की 0.03 हेक्टर, खसरा नं0 269 की 0.87 हेक्टर , खसरा नं0 439 की 0.82 हेक्टर, खसरा नं0 440 की 0.02 हेक्टर, खसरा नं0 442 की 1.07 हेक्टर, खसरा नं0 608 की 1.17 हेक्टर, खसरा नं0 693 की 1.62 हेक्टर, खसरा नं0 694 की 2.92 हेक्टर कुल 9 किता की कुल 8.70 हेक्टर आराजीयात के राजस्व रेकार्ड मे दर्ज गलत नाम जुगलकिशोर को दुरस्त कर जुगलप्रसाद दर्ज करने की घोषणा की डिकी पारित की जाती है, तथा उक्त घोषणा के अनुकम मे इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रेकार्ड मे वादी के गलत नाम को दुरस्त कर जुगलप्रसाद दर्ज किये जाने की घोषणा व इन्द्राज दुरस्ती की डिकी सादिर पारित की जाकर नम्बर से कम की जावे।

उप खण्ड अधिकारी
सांगोद (कोटा)
(रामावतार मीणा)
आर. ए. एस.
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 30.8.24 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रामावतार मीणा)
आर. ए. एस.
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

फर्द डिकी मुकदमात इब्तदाई
आर. रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी

निर्णय बइलास रामावतार मीणा (आर .ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद मिसल नं0 91/24
तारीख दायरा:– 12.2.24

बउनवान

जुगल प्रसाद चौधरी पुत्र श्री प्रभूलाल उम्र 54 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम नयापुरा तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
–वादी–

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
–प्रतिवादी–

वाद अर्न्तगत धारा 88.89 आर टी एक्ट
बाबत घोषणा व इन्द्राज दुरस्ती

दिनांक:– 30.8.24

आज यह मुकदमा वास्ते मिसाल कतई मुझ श्री रामावतार मीणा (आर. ए. एस.) व हाजरी श्री किशोरीलाल चौधरी एडवोकेट, एवं पैरोकार सरकार प्रतिवादी मिन जानिब मुद्दई रूबरू श्री .... मिन मुद्दायज पेश होकर आदेश दिया जाता है कि माल ग्राम नयापुरा पटवार हल्का कमोलर तहसील सांगोद जिला कोटा मे खाता सं0 नई 210 के खसरा नं0 105 की 0.20 हेक्टर, खसरा नं0 146 की 0.03 हेक्टर, खसरा नं0 269 की 0.87 हेक्टर , खसरा नं0 439 की 0.82 हेक्टर, खसरा नं0 440 की 0.02 हेक्टर, खसरा नं0 442 की 1.07 हेक्टर, खसरा नं0 608 की 1.17 हेक्टर, खसरा नं0 693 की 1.62 हेक्टर, खसरा नं0 694 की 2.92 हेक्टर कुल 9 किता की कुल 8.70 हेक्टर आराजीयात के राजस्व रेकार्ड मे दर्ज गलत नाम जुगलकिशोर को दुरस्त कर जुगलप्रसाद दर्ज करने की घोषणा की डिकी पारित की जाती है, तथा उक्त घोषणा के अनुकम मे इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रेकार्ड मे वादी के गलत नाम को दुरस्त कर जुगलप्रसाद दर्ज किये जाने की घोषणा व इन्द्राज दुरस्ती की डिकी पारित कीजाती है।

उप खण्ड अधिकारी
सांगोद (कोटा)
(रामावतार मीणा)
आर. ए. एस.
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

बउनवान .... बनाम ....

धारा .... मुकदमा नं. .... ऑनलाईन नं. ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ... हुक्म की ...
	जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर जाकर सुनाया गया किया जाता। पत्रावली कैफियत शुमार की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	